UPJS100024582024

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी।

परिवाद संख्या- 2006/ 2024

अरविन्द कुमार गुप्ता **बनाम** **शराफत खान**

धारा- 138 एन०आई० एक्ट

थाना- टहरौली, जिला- झांसी।

दिनांक- 04. 02. 2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादी की ओर से धारा - 200 दं०प्र०सं० में स्वयं का शपथपत्र दाखिल किया है। प्रश्नगत चेक सं०- **619643** मुबलिग **470217/ - रु० (चार लाख सत्तर हजार दो सौ सतरह रुपये)** दिनांकित- 25. 08. 2024, **Payment stopped by the Drawer** की टिप्पणी के साथ अनादृत हुयी है। नोटिस प्रथम दृष्टया तामील है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर विपक्षी **शराफत खान** को अन्तर्गत धारा- 138 एन०आई० एक्ट में तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **शराफत खान** को अन्तर्गत धारा- 138 एन०आई० एक्ट थाना- टहरौली, जिला- झांसी में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। उपरोक्त चेक में वर्णित धनराशि **470217/ - रु० (चार लाख सत्तर हजार दो सौ सतरह रुपये)** है। प्रकरण के दृष्टिगत उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था In Re Expeditious trial of cases u/ s 138 Writ Petition (Crl.) no. 2 of 2020 में दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०एल० नं०- 1959/ एडमिन जी- 2 दिनांकित 13. 07. 2018 के अनुक्रम में सम्मन में धनराशि **मुबलिग 470217/ - रु० (चार लाख सत्तर हजार दो सौ सतरह रुपये)** अंकित करते हुए प्रेषित हो। यदि अभियुक्त चाहे तो परिवादी के खाते में उक्त धनराशि जमा कर उसकी सूचना न्यायालय को दे सकता है। परिवादी अपना खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित करें।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक- 17. 03. 2025 को पेश हो।

परिवादी तीन दिन के भीतर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

(निदा ज़ैदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा,
झांसी।

Digitally signed by NIDA ZAIDI
Date: 2025.02.04 15:44:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court